न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/67/2021 दायर दिनांक 01.09.2021

उनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्ट

बनाम

1. सायरी पत्नि बंशी जाति कंजर हाल निवासी–दांता, तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. प्रेमी पत्नि बंशी जाति कंजर हाल निवासी–दांता, तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अपील विरूद्ध

आदेश ग्राम पंचायत मुंगाना नामान्तरण सं 246, दिनांक 26.08.2020

निर्णय दिनांकः 14.09.2021

–ः निर्णयः–

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहसीलदार कपासन ने इस आशय का प्रस्तुत की, मौजा मेवदा कॉलोनी पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी की ग्राम पंचायत मुंगाना तहसील कपासन के द्वारा नामान्तरण संख्या 246 दिनांक 26.08.2020 को खोला गया। उक्त निर्णित नामान्तरण निरस्त होने योग्य है, प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि राजस्व रेकार्ड में खाता संख्या 44 पर अंकित प्रताप पुत्र रामा की विरासत पटवारी हल्का द्वारा वारिसान प्रेमी पत्नि प्रताप 1/4 व सायरी पत्नि प्रताप 1/4 दायर किया गया। एवं इसी प्रकार भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच कर पंचायत [illegible] किया गया लेकिन विरासत नामान्तरकरण संख्या 246 के साथ संलग्न वारिसान सजरा, मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार मृतक प्रताप के पुत्र मांगू एवं मामा के पुत्र बन्शी [illegible] एवं बन्शी की पत्नियां सायरी एवं प्रेमी है। मौका पर्चा सजरा पटवारी, जागिरदारी ग्राम दांता खेडा जिला भीलवाडा का है। अतः प्रेमी पत्नि प्रताप एवं सायरी पत्नि प्रताप के बजाय प्रेमी पत्नि बन्शी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.06 17:54:46 IST
Reason: SelfAttested

सायरी पत्नी बन्शी त्रुटिपूर्ण को शुद्ध किया जाना है। जो कि श्रीमान् के न्यायालय के श्रेत्राधिकार का है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि राजस्व ग्राम मेवदा कॉलोनी के नामान्तरकरण संख्या 246 को निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान करावें जिससे सही एवं शुद्ध नामान्तरकरण की कार्यवाही की जा सके।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने हाजिर होकर अपील स्वीकार की जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की पहचान पटवार हल्का मुंगाना द्वारा की गयी।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिया जाता है कि ग्राम पंचायत मुंगाना द्वारा पारित राजस्व ग्राम मेवदा कॉलोनी के आदेश इन्तकाल संख्या 246 दिनांक 26.08.2020 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार कपासन को अपील इस आशय से रिमाण्ड की जाती है नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जाकर नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही करे। तहसीलदार कपासन को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.06 17:54:46 IST
Reason: SelfAttested